

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

गुंन 62/17 तारीख 22 12 6/17

उपान - मेहेन्द्र बन्ना तहसीलदार टोडाभीम
 मोहनपुर
 दावा बाबत इस्तफाररुह इन्हाज डुकुली
 धारा 88, 136 अन्तर्गत

पार्की की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता एवम् केटने दावा
 बाबत इस्तफाररुह इन्हाज डुकुली धारा अन्तर्गत
 88, 136 पेश किया। श्राप्य पत्र व जमा बन्दी का क्षवलोका
 किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को
 जरिये सम्मान से तलब कर दिनांक 19-6-17 को
 पेश हो।

2360-67
 14-6-17



 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

19-6-17

वादी वकील उप।/ पैरोकार सरकार उप।/ जबब पेश करे
 समय चाला। जबब पेश करे दिनांक 26-7-17 को पेश हो।

26-7-17

वादी वकील उप।/ जबब पेश करे दि० 16-8-17 को
 पेश हो।


 वादीश अर्प
 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम

27-9-17

जनरल पेशी हे पेश हुई। वादी वकील एवं पैरोकार
 सरकार उप।/ जबब पेश करे की हिरायत की। जबब
 पेश करे दि० 31-10-17 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
31.10.17	37/10.17
1.11.17	वादी वकील उपा. / चैरोमा सरकार ने जबाब पेश नहीं किया है, कारण स्वयं कोन फा लिसा गाम जबाब पेश कर दि 23.11.17 को पेश हो।
5876 6.11.17	
23.11.17	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी का पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22-12-17 को पेश हो।
22-12-17	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी का पत्रावली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 22-1-18 को पेश हो।
25.1.18	वादी वकील उपा. / तहसीलदा टोडाभीम को जबाब पेश करने का जोरिस काण बताओ जारी करें / जबाब पेश कर दि 23.2.18 को पेश हो।
649 5-2-18	
23-2-18	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी चुनाब का पत्रावली है। अतः चुनाब गतानुसार दिनांक 2-3-18 को पेश हो।
9.3.18	वादी वकील उपस्थित तहसीलदा कालपाट चैरोमा सरकार ने जबाब रिपोर्ट प्रस्तुत किया। शामिल पत्रावली रहे। वादी वकील ने बहस का किस्म परिवर्तन मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदा कोले का कथन किया। बहसमा मनन का वादी का दावा सिद्ध किया जाता है। विस्तृत निर्णय फुफ्फुसे लिखा जाकर शामिल किया। पत्रावली कैसल शुमा हीका नम्बर से काम होकर टारिखल दफतर हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)